इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 नवम्बर 2015—कार्तिक 11, शक 1937

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 6-4-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 6-1-2008-एक(1), दिनांक 18 जुलाई, 2008 को अतिष्ठित करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवा/पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

#### नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015" है।
  - (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। परिभाषाएं.—
- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - इन निवना न, जब राक्य वर्ग राज्य राज्य राज्य राज्य वर्ग जनवारा न दन्
  - (क): "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
  - (ख़) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा;
  - (ग) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पदों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी प्रवर्गों के लिए आरक्षण) नियम,1985" में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक ;
  - (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;
  - (ड.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल ;

- (च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8—5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नाग्रिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
- (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;
- (जं) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति स अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का स जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सं में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;
- (झ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

#### राज्य सेवा परीक्षा और उसके संचालन का तरीका —

(1) आयोग द्वारा प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भरती के लिए "राज्य सेवा परीक्षा" के नाम से एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी:—

अनुकमांक (1)	(2)	विभाग का नाम (3)	सेवा / पद व (4)	ना वर्ग
<b>1.</b>	राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष)	सामान्य प्रशासन विभाग	द्वितीय	
2.	राज्य पुलिस सेवा (पुलिस उप अधीक्षक)	गृह विभाग	द्वितीय	
3.	जिला सेनानी, नगर सेना	गृह विभाग	द्वितीय	
4.	अधीक्षक, जिला जेल	जेल विभाग	द्वितीय	
5.	राज्य वित्त सेवा	वित्त विभाग	द्वितीय	
	(कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिक	ारी /		
	लेखाधिकारी / सहायक संचालक)			
6,	सहायक संचालक,	वित्त विभाग	द्वितींय	
	स्थानीय निधि संपरीक्षा			
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	•	द्वितीय
8.	जिला आबकारी अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	÷	द्वितीय
9.	जिला पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	•:	द्वितीय
10.	रोजगार अधिकारी	वाणिज्य, उद्योग एवं		द्वितीय
		रोजगार विभाग		141114
11.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग		द्वितीय
12.	सहायक आयुक्त, सहकारिता	सहकारिता विभाग		द्वितीय
	एवं सहायक पंजीयक,			ાકુલાવ
	सहकारी सोसाइटी			

	**		
13	श्रम अधिकारी	श्रम विभाग	द्वितीय
	(मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन	न	
	कर्मकार अधिनियम,1961)		
14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ख "	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	द्वितीय
15.	सहायक संचालक	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	द्वितीय
16.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
	जनपद पंचायत / अतिरिक्त		
	सहायक विकास आयुक्त		
17.	विकास खण्ड अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
18.	सहायक संचालक, जनसंपर्क	जनसंपर्क विभाग	द्वितीय
19.	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग	द्वितीय
20.	क्षेत्र संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग	द्वितीय
21.	सहायक संचालक,	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं	द्वितीय
	खाद्य/ जिला सिविल	उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
	आपूर्ति अधिकारी		
22.	जिला महिला एवं	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
	बाल विकास अधिकारी/		
	सहायक संचालक		•
23.	मुख्य निर्देशिका,	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
	(आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्र)		
24.	बाल विकास परियोजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
	अधिकारी		
25.	विकास खण्ड महिला	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
	सशक्तिकरण अधिकारी		
26.	सहायक संचालक, पिछड्	म् वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	द्वितीय
	(प्रशासन)		
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	
27.	सहायक जेल अधीक्षक	जेल विभाग	तृतीय
28.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय
29.	आबकारी उप निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय

30.	उप पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय
31.	नायब तहसीलदार	राजस्व विभाग	रू तृतीय
32.	सहायक अधीक्षक, भू—अभिलेख	राजस्व विभाग	नृत <u>ीय</u>
33. 34.	परिवहन उप निरीक्षक सहकारिता निरीक्षक /	परिवहन विभाग सहकारिता विभाग	तृतीय तृतीय
	सहकारिता विस्तार अधिकारी		પૂરાવ
35.	सहायक श्रम अधिकारी	श्रम विभाग	तृतीय
36.	मुख्य नगरपालिका नग अधिकारी श्रेणी ''ग''	रीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	तृतीय

- (2) (क) राज्य सेवा परीक्षा में निम्नानुसार तीन कमिक स्तर होंगे -
  - (एक) प्रारम्भिक परीक्षा— यह परीक्षा मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी करने के लिए संचालित की जाएगी तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी तथा अंतिम चयन के स्तर पर इस परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाएगी।
  - (दो) मुख्य परीक्षा— मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु चयन करने के लिए संचालित की जाएगी तथा यह परीक्षा वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित होगी। वे अभ्यर्थी जो प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिये हकदार होंगे।
  - (तीन) साक्षात्कार— विभिन्न विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार संचालित किया जाएगा। साक्षात्कार में मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित केवल ऐसे अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे जिन्हें दस्तावेजों की जांच के आधार पर पात्र पाया गया है।
  - (ख) अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपरिथत अभ्यर्थी चयन के लिए निरर्हित हो जाएंगे।
  - (ग) आयोग, समय—समय पर, प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना / और पाठ्यकम तथा शुल्क विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) जिला संयोजक (आदिम जाति कल्याण) तथा क्षेत्र संयोजक (आदिम जाति कल्याण) के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंनें स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र एक विषय के रूप में लिया हो।

# 4. चयन सूची तैयार करने का तरीका.-

- (1) (क) (एक) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के 15 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जावेगा, कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किये हों, जितने कि आयोग विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थी जो "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किए जाएंगे।
  - (वो) प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी सामान्य गुणानुकम के आधार पर शामिल किए जाएंगे जिन्होंने संबंधित प्रवर्ग को दिए जाने वाले लाभ / रियायत नहीं लिये हैं।
  - (तीन) द्वितीयतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों की पृथक् सूचियां तैयार की जाएंगी।
  - (ख) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को इस संबंध में समय—समय पर जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार सभी वर्गों में क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
  - (ग) (एक) विभिन्न श्रेणियों (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) के निःशक्तजन हेतु विज्ञापित पदों के लिए, विज्ञापित रिक्तियों के 15 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लिए हों जितने कि आयोग विनिर्दिष्ट करे इसके अतिरिक्त ऐसे सभी अभ्यर्थी,

जिनके प्राप्तांक सम्बंधित श्रेणियों (अस्थिबाधित/ दृष्टिबाधित/ श्रवणबाधित) के "कट आफ अंकों" के बराबर हैं मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए जाएंगे।

- (दों) शारीरिक रुप से निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी, जो विभिन्न श्रेणियों में उनके गुणानुकम आधार पर पूर्व में ही चयनित किए जा चुके हैं, शारीरिक रुप से निःशक्त जन की सफल अभ्यर्थियों की 15 गुना की संख्या में गिना जाएगा।
- (तीन) उपरोक्त उपखण्ड (एक) के अधीन गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई इस सूची में सम्मिलित अन्य निःशक्त अभ्यर्थी विभिन्न प्रवर्गों (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों) में जिससे कि वे संबंधित हैं संबंधित प्रवर्ग के, कम योग्य अभ्यर्थियों को हटाकर समायोजित किए जाएंगे।
- (घ) चारों सूचियां बनाने के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त सूची बनाई जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। यह सूची रोल नंबर अनुसार होगी।
- (2) (क) (एक) मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के तीन गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किये हों। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी जो "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए जाएंगे।
  - (दो) सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में, ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, के अभ्यर्थी प्रावीण्यता के आधार पर शामिल किये जाएंगे जिन्होंने संबंधित वर्ग को देय लाभ / शिथिलीकरण नहीं लिया है।
  - (तीन) निःशक्तजनों के पद वर्गवार विज्ञापित न करते हुए श्रेणीवार (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) विज्ञापित किए

- जाएंगे। इसमें जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें संबंधित वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा।
- (चार) द्वितीयतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की पृथक्—पृथक् सूचियां तैयार की जाएंगी।
- (ख) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के सभी वर्गों को क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण का लाभ इस संबंध में समय समय पर जारी नियम तथा निर्देश अनुसार दिया जाएगा।
- (ग) (एक) निःशक्तजन हेतु विज्ञापित पदों में निःशक्तजन की विभिन्न श्रेणियों (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) के लिए विज्ञापित रिक्तियों की तीन गुना संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा कि उन्होंने आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लिए हों। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक संबंधित श्रेणियों (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) के निःशक्तजन के कट आफ अंकों के बराबर होंगे, उन्हें भी साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा।
  - (दो) शारीरिक रुप से निःशक्तजन अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रवर्गों में मेरिट के आधार पर पहले से चयनित किये जा चुके हैं, उनकी भी रिक्तियों के तीन गुना में गणना की जाएगी।
  - (तीन) ऊपर उपखण्ड (एक) के अधीन गुणानुकम के आधार पर
    तैयार की गई इस सूची में अन्य निःशक्तजनों को विभिन्न
    प्रवर्गों (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित
    जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों) में जिससे कि वे संबंधित हैं को
    उनके प्रवर्ग के न्यूनतम प्रावीण्यता वाले अभ्यर्थी को हटाकर
    जिससे कि वे संबंधित हैं समायोजित किया जाएगा।

- (घ) चारों सूचियां तैयार करने के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों की सामान्य सूची अनुक्रमांक अनुसार तैयार की जाएगी तथा तत्पश्चात् परिणाम घोषित किया जाएगा।
- (ड.) मुख्य परीक्षा के परिणाम के साथ साथ आयोग द्वारा अनुप्रमाणन पत्र एवं उनकी पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी। समस्त सफल अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र तथा उनकी पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज जमा करने की अपेक्षा की जाएगी। अनुप्रमाणन पत्र तथा दस्तावेजों की संवीक्षा करने के पश्चात् उन अभ्यर्थियों को, जो पात्र पाए गये हैं, साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। जो अभ्यर्थी आयोग द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व अनुप्रमाणन—पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
- (3) (क) (एक) साक्षात्कार के पश्चात आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्यता के कम में रखे जाएंगे। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रावीण्यता क्रम आयोग के आदेश द्वारा विहित मापदण्ड के अनुसार अवधारित होगा। प्रावीण्यता सूची तैयार होने के पश्चात् वर्गवार विज्ञापित पदों के बराबर अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिये सफल घोषित किया जाएगा।
  - (दो) सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को सामान्य प्रावीण्यता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा, जिन्होंने संबंधित वर्ग को देय कोई लाम/शिथिलीकरण नहीं लिया है।
  - (तीन) द्वितीयतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की पृथक्—पृथक् सूचियां तैयार की जाएंगी।
  - (चार) सभी वर्गों में महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को नियमों तथा समय—समय पर इस संबंध मे जारी निर्देशों के अनुसार क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

- (पांच) शारीरिक रुप से निःशक्तजनों की विभिन्न श्रेणियों (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) के लिए विज्ञापित पदों हेतु केवल उस श्रेणी के शारीरिक रुप से निःशक्तजनों को चयनित किया जाएगा।
- (छह) शारीरिक रुप से निःशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो विभिन्न वर्गों (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर पूर्व में ही चयनित हो चुके हैं, की गणना शारीरिक रुप से निःशक्त प्रवर्ग में आरक्षित पदों में की जाएगी।
- (सात) अन्य निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी प्रावीण्यता के आधार पर चयनित नहीं हुए हैं को विभिन्न प्रवर्गों (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) में जिससे कि वे संबंधित हैं संबंधित प्रवर्ग के न्यूनतम प्रावीण्यता वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को हटाकर समायोजित किया जाएगा।
- (ख) (एक) साक्षात्कार के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से, विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार के पूर्व अधिमान पत्रक प्राप्त किया जाएगा। एक बार अधिमान पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन/ परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - (दो) अभ्यर्थी को केवल उन्हीं पदों के लिए अनुशंसा हेतु विचार किया जाएगा, जिसके लिये उसने अधिमान दिया है। जिन पदों पर अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया गया है उन पदों पर अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी भले ही वे योग्यताकम में उन पदों पर चयन के लिए पात्र हों।
  - (तीन) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अधिमान पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया है या उसके द्वारा प्रस्तुत अधिमान पत्रक में हस्ताक्षर नहीं है तो उसकी अनुशंसा करते समय सभी पदों पर विज्ञापन में दिये कम अनुसार विचार किया जाएगा।
- (ग) (1) किसी विशिष्ट सेवा / पद के लिए अभ्यर्थी की वर्गवार अनुशंसा उनके द्वारा प्राप्त अंकों तथा पद के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत अधिमान पत्रक (यदि कोई हो) के आधार पर की जाएगी।

- (2) यदि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा दी गई अधिमान पत्रक में उल्लिखित उच्च पद की मुख्य सूची में हो जाता है तो उस अधिमान पत्रक में उल्लिखित शेष पदों हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- (घ) (एक) मुख्य सूची में दिये गये अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक पद के लिए अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) तैयार की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूची में नामों की न्यूनतम संख्या दो होगी, परन्तु वह मुख्य सूची की संख्या से अधिक नहीं होगी।
  - (दो) प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय उपरोक्त उपनियम (क), (ख) और (ग) लागू होंगे।
  - (तीन) मुख्य सूची की विधिमान्यता 12 माह तथा प्रतीक्षा सूची की विधिमान्यता 18 माह होगी।
  - (चार) आयोग, इस संबंध में संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची की विधिमान्यता की कालाविध को 6 माह तक के लिए बढ़ा सकेगा।
  - (पांच) मुख्य सूची में अधिसूचित अभ्यर्थियों को, यदि वे पदभार ग्रहण करने से इंकार कर देते हैं या विहित कालाविध में पदभार ग्रहण करने में असफल रहते हैं, नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  - (छह) प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची के कम में केवल तभी नियुक्ति दी जाएगी जबिक मुख्य सूची में वर्णित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया हो । मुख्य सूची के अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् यदि त्याग पत्र अथवा अन्यथा के कारण मुख्य सूची की वैधता की कालाविध में भी पद रिक्त हो जाता है तो प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति नहीं की जाएगी।

# नियुक्ति का अधिकार एवं राज्य सरकार द्वारा जांच.—

(1) परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्य शासन रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से नियुक्ति से इंकार कर सकता है। (2) आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, शासन अभ्यर्थियों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसा कि वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि, वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिये सभी तरह से उपयुक्त है। शासन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने / न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6. पात्रता की शर्ते.—

- (1) राष्ट्रीयता—अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- (2) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता— इस नियम में अधिसूचित पदों हेतु पदों के भरती नियम में इस बाबत किसी भी प्रावधान के होते हुए भी शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार होगी:—

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

टिप्पण— 1. ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी, जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक रनातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व रनातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टिप्पण – 2. ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

## (3) आयु-

(क) इन नियमों में अधिसूचित पदों से संबंधित भरती नियमों में इस बाबत कोई भी भिन्न प्रावधान होने के बावजूद भी न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी:

> परन्तु गृह (पुलिस) विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग के पदों के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी।

> आयु की संगणना विज्ञापन जारी होने की अधिसूचना के पश्चात् की आगामी 1 जनवरी के सन्दर्भ में की जाएगी।

- (ख) विभिन्न संवर्गों को अनुज्ञेय उच्चतर आयु सीमा में आयु शिथिलीकरण —
  - (एक) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को "मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा—8 के उपबंधों के अनुसार शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट प्राप्त होगी।
  - (दो) मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को "मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 (यथा संशोधित)" अनुसार छूट प्राप्त होगी।
  - (तीन) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा। पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के अनुसार छूट प्राप्त होगी।
  - (चार) निम्नलिखित वर्गों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय समय पर जारी परिपन्न अनुसार छूट प्राप्त होगी:—

- (क) मध्यप्रदेश सरकार तथा उसके निगम/मण्डल/स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिक।
- (ख) विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला
- (ग) शारीरिक रूप से नि:शक्तजन
- (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक
- (ङ) विकम पुरस्कार के धारक
- (च) मध्यप्रदेश सरकार के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपति का सवर्ण पार्टनर
- (छ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अन्य प्रवर्ग परन्तु गृह (पुलिस) विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग के लिए उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण, उनके भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगा।
- टिप्पण –1. समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण –2. निःशक्तजन अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा अन्य लाभ केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।
- टिप्पण -3. आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

# 7. आयु के लिए प्रमाण-पत्र.-

- (1) नियम—6 के उपनियम (3) में यथा उपबंधित के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो उसकी हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्रमाण—पत्र / अंकसूची या उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण—पत्र में अभिलिखित होगी। आयु संबंधी कोई अन्य दस्तावेज जैसे— शपथ—पत्र, जन्म—पत्री, नगर निगम आदि में जन्म संबंधी उद्धरण इत्यादि स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- (2) उपरोक्त प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदन पत्र में जन्म तिथि एक बार सत्यापित और अभिलखित हो जाने पर, उसमें परिवर्तन करने संबंधी किसी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में कोई विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द किया जाएगा ।

#### 8. अपात्रता.-

- (1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवित रहने के कारण शून्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जायेगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि, राज्य शासन का इस बात का समाधान न हो जाए कि, ऐसा करने के लिए कोई विशेष औचित्य/कारण है और तदुपरि शासन किसी पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह इस कारण से शून्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पित की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक पत्नी जीवित हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जायेगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि, राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष आधार है और तदुपरि शासन ऐसी किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) (क) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध—दोष टहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के किसी न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति का मामला आपराधिक कार्यवाहियों का अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। (ख) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

> परन्तु ऐसा कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा जिसकी पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात होता है, जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म एक साथ होता है।

# 9. मानसिक और शारीरिक उपयुक्तता.—

अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे विशिष्ट सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना है।

# 10. कतिपय पदों के लिए शारीरिक उपयुक्तता के मापदण्ड.—

भरती नियमों में इस संबंध में किन्हीं उपबंधों के होते हुए भी, नीचे दी गई सारणी में वर्णित पदों के लिए शारीरिक उपयुक्तता के मापदण्ड सारणी में दिए गए अनुसार होंगे।

सारणी ऊंचाई तथा सीने के घेरे के लिए न्यूनतम माप

	अनु कमांक	पद का नाम	लिंग	ऊंचाई से.मी.में	सीने	का घेरा
		u de la companya de l			बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी.में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1	राज्य पुलिस सेवा	पुरूष	168	. 84	89
		(उप पुलिस अधीक्षक)	महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
-	2	जिला सेनानी, होम	पुरूष	168	84	89
		गार्ड्स	महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं

	'				
3	जिला आबकारी	पुरूष	168	84	89
	अधिकारी	महिला	155	सीने का माप	सीने का माप
				अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
4	अधीक्षक, जिला जेल	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप	सीने का माप
Ji.				अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
5	आबकारी उप निरीक्षक	पुरूष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप	सीने का माप
				अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
6	सहायक जेल अधीक्षक	पुरूष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप	सीने का माप
				अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
7	परिवहन उप निरीक्षक	पुरूष	168	84	89
		:			
		महिला	155	सीने का माप	सीने का माप
				अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

# आवेदन पत्र की प्राप्ति तथा आवेदन पत्र में परिवर्तन.—

प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि विज्ञापन में विहित किया जाए । प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन की अनुमति आयोग द्वारा विज्ञापित प्रकिया के सिवाय नहीं दी जाएगी।

# 12. पात्रता हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना तथा सत्यापन किया जाना.-

- (1) आयोग, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण–पत्र नहीं मंगवाएगा एवं परीक्षा हेतु उस स्तर पर पात्रता की जांच नहीं की जायेगी।
- (2) केवल इस तथ्य से कि अभ्यर्थी को परीक्षा का प्रवेश—पत्र जारी कर दिया गया है यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता को आयोग द्वारा अन्तिम रूप / अप्रतिसंहरणीय रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए उसके आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप से स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में प्रवेश अनंतिम होगा। यदि चयन के किसी भी प्रकम पर सत्यापन के पश्चात् यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी, पात्रता की कोई शर्ते पूरी नहीं करता है या असत्य / त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

- (3) आयोग, साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करते समय पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय "अनुप्रमाणन—पत्र" (अटेस्टेशन फार्म) सहित विहित दस्तावेज, इसके प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख अधिसूचित करते हुए बुलाएगा ।
  - (क) अनुप्रमाणन—पत्र तथा दस्तावेजों की जांच के पश्चात् अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें साक्षात्कार हेतु पात्र पाया जाएगा। पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा, इस सन्दर्भ में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
  - (ख) यदि अभ्यर्थी, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व अनुप्रमाणन—पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।
- (4) उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण या अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व, प्रेषित किये जाने वाले "अनुप्रमाणन—फार्म" के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न होना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण—पत्र ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण—पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक कीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण—पत्रों में कीमीलेयर में न आने संबंधी कण्डिका छूटी होगी या रद्द होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
- (5) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार दिवस को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय जाति एवं अन्य प्रमाण—पत्र मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता रदद कर दी जाएगी,

जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में किसी वचन—पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और प्रकरण नस्तीबद्ध समझा जायेगा। अपेक्षित प्रमाण—पत्रों की अनुपरिथित में किसी शिथिलीकरण या रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में रियायत का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारम्भ होने तथा सेवोन्मुक्त होने की तारीखें दर्शाई गई हों और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की अनुशंसा के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रुप से कमी किए जाने के कारण, जैसी भी स्थिति हो, छंटती किया गया था या अतिशेष घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

#### 13. परीक्षा में प्रवेश.--

अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि :--

- (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और
- (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन / प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
- (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
- (घ) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश—पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाये गए फोटोयुक्त परिचय—पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

### 14. कदाचरण और उसके लिए कार्रवाई.-

कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :--

- (क) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो या छल किया हो, या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या
- (घ) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

- (ङ) ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रकम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
- (छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारिवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (झ) उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारिवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (ट) परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत् अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी उत्तरपुस्तिका जमा करने में असफल रहता है या उत्तरपुस्तिका को क्षति पहुंचाता है, या
- (ठ) परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग—
  - (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और / या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
  - (दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उर्पयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
  - (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

#### 15. परीक्षा केन्द्र आबंटन करने का अधिकार.-

आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदन पत्र में दिये गये अधिमान को दृष्टि में रखकर अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आबंटित करे या न करें। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारी नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही उसे आबंटित करें। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आबंटित किए जाएंगे। केन्द्र आबंटन के पश्चात्, केन्द्र बदलने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

#### 16. अभ्यर्थियों के साथ पत्राचार.-

अभ्यर्थी द्वारा विहित आवेदन—पत्र में अंकित वर्तमान पते या ई—मेल आई.डी. में से किसी एक पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र—व्यवहार किया जावेगा। अभ्यर्थी के पते या ई—मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए पते या ई—मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आगामी पत्र—व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। यदि अभ्यर्थी उसके पते या ई—मेल आई.डी. में परिवर्तन होने की सूचना आयोग को नहीं देता है तो आयोग द्वारा समस्त पत्र—व्यवहार पुराने पते या ई—मेल आई.डी. पर किया जायेगा एवं अभ्यर्थी को पत्र आदि प्राप्त न होने के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा और अभ्यर्थी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

# 17. अंकसूची.-

- (1) आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अंक सूची उपलब्ध नहीं कराएगा क्योंकि यह केवल एक सक्षमता का परीक्षण है और इस विषय में कोई पत्र—व्यवहार ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- (2) मुख्य परीक्षा की अंक सूचियाँ अभ्यर्थियों को, अन्तिम चयन परिणाम के प्रकाशन के पश्चात ऑनलाईन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (3) प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों की पुनर्गणना एवं उत्तर पुरितकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र—व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

#### 18. यात्रा भत्ता.-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन—पत्र में उल्लिखित उनके निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र तक आने—जाने के यात्रा भत्ते का भुगतान परीक्षा के तुरन्त बाद राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

- (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित उक्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु की गई यात्रा के यात्रा व्यय का भुगतान आयोग के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (3) अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति, केवल मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी/जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किये गये जाति/निःशक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर की जाएगी।
- (4) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित / मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न रियायतें, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के "कीमीलेयर" के अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण एवं अन्य लाभ अनुज्ञेय नहीं होंगे।

# 19. प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा, पदस्थापना का स्थान और बंध—पत्र का निष्पादन.—

किसी विशिष्ट सेवा के लिए अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये। उनसे मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करना अपेक्षित होगा और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए। पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में, जैसी राज्य सरकार वांछा करे, कम—से—कम तीन वर्षों की कालाविध के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध—पत्र निष्पादित करना होगा।

# 20. नियमों का निर्वचन.-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह शासन के, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

# 21. निरसन तथा व्यावृत्ति.-

इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरिसत नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

कमांक एफ 06-04/2015/एक-(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 06-04/2015/एक-(1) दिनांक 02 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

#### Bhopal, the 2nd November 2015

No. F. 06-04-2015-One-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of this Department's Notification No. F. A 6-1-2008-One(1), dated 18th July, 2008, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules in respect of examination for recruitment to the service/post borne on various departments of the Government of Madhya Pradesh, namely:—

#### **RULES**

1.Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Service Examination Rules, 2015.

- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
  - 2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
  - (b) "Examination" means the examination conducted by the Commission for recruitment in the services as specified in rule 3;
  - (c) "Ex-servicemen" means the ex-serviceman as defined in the Madhya Pradesh Ex Servicemen {Reservation of Class III and Class IV Categories of State Civil Services and Posts) Rules. 1985;
  - (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
  - (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
  - (f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
  - (g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within the caste, race or tribes specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
  - (h) "Scheduled Tribes" mans any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
  - (i) "State" mans the State of Madhya Pradesh.
- 3. State Service Examination and mode of conducting thereof.—(1) A combined competitive examination namely "State Service Examination" for recruitment to the following services/posts shall be held annually by the commission:—

S. No. (1)	Name of Service/Post (2)	Name of the Department (3)	Class of Service/Post (4)
<b>1.</b> ,	State Administrative Service	General Administration	$\mathbf{II}^{\circ}$ , $\mathbf{v}$ , $\mathbf{v}$
,	Deputy Collector	Department	
2.	State Police Service	Home Department	II
	(Deputy Superintendent of Police	-	
3.	District Commandant,	Home Department	II
	Home Guards.	•	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Superintendent, District Jail	Jail Department	П
5.	State Account Service (Junior Scale Treasury Officer/ Accounts Officer/Assistant Director	Finance Department	П
6.	Assistant Director, Local Fund Audit	Finance Department	II
7.	Commercial Tax Officer	Commercial Tax Department	II
8.	District Excise Officer	Commercial Tax Department	II
9.	District Registrar	Commercial Tax Department	II
10.	Employment Officer	Commerce, Industry and Employment Department	II
11.	Assistant Regional Transport Officer	Transport Department	п
12.	Assistant Commissioner Co-operative and Assistant Registrar, Co-operative Societies.	Co-operative Department	II
13.	Labour Officer (Chief Inspector Motor Transport Workers Act, 1961)	Labour Department	<b>II</b>
14.	Chief Municipal Officer Grade "B"	Urban Development and Environment Department.	II
15.	Assistant Director	Urban Development and Environment Department.	П
16.	Chief Executive Officer Janpad Panchayat/ Additional Assistant Development Commissioner.	Panchayat and Rural Development Department	II
17.	Block Development Officer	Panchayat and Rural Development Department.	II
18.	Assistant Director, Public Relations	Public Relations Department	П
19.	District Organizer	Tribal Welfare Department	II

	•		
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Area Organizer	Tribal Welfare Department	П
21.	Assistant Director, Food/ District Civil Supplies Officer	Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	<b>II</b>
22.	District Women and Child Development Officer/ Assistant Director.	Women and Child Development Department	<b>II</b>
23.	Chief Inspector (Anganwadi Training Centre)	Women and Child Development Department	II
24.	Child Development Project Officer	Women and Child Development Department	II
25.	Block Women Empowerment Officer	Women and Child Development Department	II
26.	Assistant Director (Administration)	Backward Classes and Minorities Welfare Department	, <b>II</b>
•	CLASS-III	(EXECUTIVE)	
27.	Assistant Superintendent, Jail.	Jail Department	III
28.	Commercial Tax Inspector	Commercial Tax Department	Ш
29.	Excise Sub-Inspector	Commercial Tax Department	III
30.	Sub-Registrar	Commercial Tax Department	III
31.	Naib Tahsildar	Revenue Department	III
32.	Assistant Superintendent, Land Records	Revenue Department	III
33.	Transport Sub-Inspector	Transport Department	Ш
34.	Co-operative Inspector/ Co-operative Extension Officer	Co-operative Department	Ш
35.	Assistant Labour Officer	Labour Department	III
36.	Chief Municipal Officer Grade "C"	Urban Development and Environment Department.	III

- (2) (a) The State Services Examination shall have three successive stages as under:—
  - (i) **Preliminary Examination**—This Examination shall be conducted for screening the candidates to appear in the Main examination and shall be based on Objective Type Questions and marks obtained in this examination shall not be counted at the stage of final selection.
  - (ii) Main examination—The main examination shall be conducted to select the candidates for interview and shall be based on descriptive pattern. Those candidates who have passed preliminary examination shall be entitled to appear in this examination.
  - (iii) Interview—Interview will be conducted for selecting candidates for various posts advertised. Only those candidates declared successful in main written examination will appear in interview who found eligible on the basis of scrutiny of documents.
  - (b) Final Selection of the Candidates shall be made on the basis of marks obtained in Main examination and Interview. Candidates who are absent in the interview shall be disqualified for selection.
  - (c) The Commission shall, specify the Examination Plan and Syllabus of Preliminary and Main examination and fees from time to time.
  - (d) In case of candidates applying for the posts of District Organiser (Tribal welfare) and Area Organiser (Tribal welfare), preference shall be accorded to those Candidates who have sociology as one of the subjects at graduate level.

#### 4. Mode of preparation of select list.—

- (1) (a) (i) On the basis of marks obtained in Preliminary Examination, candidates numbering 15 times the vacancies as advertised categorywise will be declared successful for Main examination subject to the condition that candidates have scored minimum passing marks as may be specified by the Commission. In addition to this, all the other candidates who get marks equal to "Cut Off Marks" will also be declared successful for the main examination.
  - (ii) Firstly, a list of Candidates of unreserved category shall be prepared. This list will include the candidates selected on the basis of the common merit from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who have not taken any advantage/relaxation given to the concerned category.
  - (iii) Secondly, separate lists of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will be prepared.
- (b) Horizontal reservation shall be given to Women and Ex-Serviceman in all categories as per rules and instructions issued in this regard from time to time.
- (c) (i) For the posts advertised for various categories of physically challenged persons (Orthopaedic/Visual/Hearing) candidates numbering 15 times the vacancies advertised for such physically challenged category will be declared successful for the Main examination subject to the condition that candidates have scored minimum passing marks specified by the Commission. In addition to that, all those candidates who get marks equal to "Cut Off Marks" in their category (Orthopaedic/Visual/Hearing), will be declared successful for Main examination.

- (ii) Physically challenged candidates who have already been selected on the basis of their merit in various categories will also be counted in the 15 times of the successful candidates for physically challenged.
- (iii) Other physically challenged candidates included in this list prepared under subclause (i) above on the basis of merit, shall be adjusted to the various categories (Un-reserved/Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Others Backwards Classes) they belong to by replacing the least meritorious candidates of the concerned category.
- (d) A common list of successful candidates shall be prepared after the preparation of all four lists, and examination result will be declared thereafter. This list will be roll number wise.
- (2)(a) (i) On the basis of marks obtained in Main examination, candidates numbering 3 times the vacancies advertised category wise shall be declared successful for Interview subject to the condition that candidates have obtained minimum passing marks specified by the Commission. In addition to this all the other candidates who get marks equal to "Cut Off Marks" will also be declared successful for the Interview.
  - (ii) Firstly, list of unreserved categories will be prepared. This list shall include those candidates selected on the basis of the common merit from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who have not taken any advantage/ relaxation given to the concerned category.
  - (iii) The post for the physically challenged persons shall be advertised category wise (Orthopaedic/Visual/hearing) and not class wise. Consequently selected candidates shall be included in their respective class.
  - (iv) Secondly, separate lists of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be prepared.
- (b) Horizontal reservation shall be given to Women and Ex-Serviceman in all categories as per rules and instructions issued in this regard from time to time.
- (c) (i) For the posts advertised for various categories of physically challenged persons (Orthopaedic/Visual/Hearing), candidates numbering 3 times the vacancies advertised of such physically challenged category shall be declared successful for the Interview subject to the condition that they have obtained minimum passing marks specified by the Commission. In addition to that, all those candidates who get marks equal to "Cut Off Marks" in their category (Orthopaedic/Visual/Hearing), shall be declared successful for Interview.
  - (ii) Physically challenged candidates who have already been selected on the basis of their merit in various categories shall also be counted in 3'times of the vacancies.
  - (iii) The candidates belonging to the category physically challenged included in this list prepared under sub clause (i) above on the basis of merit, will be adjusted to the various categories (Unreserved/Scheduled Castes/Scheduled Tribes Other Backward Classes) they belong to by replacing the least merit candidate's of the concerned category.
- (d) After preparation of all the four lists, a common list of successful candidates will be prepared roll number wise and thereafter the result will be declared.

- (e) Along with the result of the main examination last date for the submission of attestation from and documents related to their eligibility will be notified by the Commission. All successful candidates shall be required to submit attestation from and all documents relating to their eligibility before the last date. After scrutiny of the attestation from and documents, those candidates will be allowed to appear in the interview who have been found eligible. Candidature of those candidates will be cancelled who fail to submit attestation from and documents on or before the last date as notified by the commission.
- (3) (a) (i) After the interview the candidates will be listed by the Commission in order of merit, on the basis of aggregate marks obtained by them in the main examination and the interview. Order of merit of the candidate getting equal marks will be determined as per norms prescribed by the commission by order. After the preparation of the merit list the candidates equal to the number of posts advertised category wise will be declared successful for appointment.
  - (ii) Firstly, list of unreserved candidates will be prepared. This list will include those candidates on the basis of the common merit from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who have not taken any advantage/relaxation given to the concerned category.
  - (iii) Secondly, a Separate list of the Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will be prepared.
  - (iv) Horizontal reservation will be given to the Candidates belonging to the Women and Ex-Servicemen in all categories as per rules and instructions issued in this regard from time to time.
  - (v) For the posts advertised for various categories of physically challenged persons (Orthopaedic/Visual/Hearing), only the persons of that physically challenged category will be selected.
  - (vi) Physically challenged candidates who have already been selected on the basis of their merit in various categories (Unreserved/Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes) will also be counted for the posts reserved for physically challenged category.
  - (vii) Other physically challenged candidates who are not selected on their own merit will be adjusted to the various categories (Unreserved/Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Other Backwards/Classes) they belong by replacing the least merit candidate/s of the concerned category.
- (b) (i) Before the interview, a preference sheet for the posts advertised, will be received from the qualified candidates for interview. Once the preference sheet is submitted, no amendment or change will be allowed in the sheet.
  - (ii) Candidates will only be considered for recommendation for those posts that are preferred by the candidate. Candidates will not be considered for the post they have not preferred even if they are eligible for the post on the basis of merit.
  - (iii) If any candidate has not submitted the preference sheet or preference sheet submitted by him/her is not signed then while recommending him all posts will be considered as they are listed in the advertisement.

- (c) (1) Category wise recommendation of the candidates, for any specific service/post will be made according to the marks obtained by them and preference sheet (if any) submitted by them.
  - (2) If a candidate is selected in the main list on the basis of the higher priority of post given by him in the preference sheet, he/she will not be considered for the remaining post(s) of preference sheet.
- (d) (i) A supplementary (waiting) list for each post to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list shall be prepared. Minimum number of names will be two in each of such lists, but it shall not be more than the numbers of the main list.
  - (ii) While preparing the waiting list the above sub-rules (a), (b) and (c) shall be applied.
  - (iii) Validity of Main list shall be 12 months and supplementary list shall be valid for 18 months.
  - (iv) Commission may extend the validity period of main list and supplementary list for 6 months on the proposal of department concerned in this regard.
  - (v) The candidate(s) notified in the Main List shall not be appointed if they refuse to join the post or fail to join on the post in prescribed period.
  - (vi) Candidates of Waiting List shall be appointed as per order of waiting list only when candidates mentioned in the Main List has not joined the post. After joining on post, if the post becomes vacant due to resignation or otherwise even in validity period of the Main List, the appointment shall not be made from the Waiting List.
- 5. Right of appointment and Enquiry by State Government.
  - (1) Bare success in the examination confers no right to the candidate to be appointed. The State Government may refuse appointment because of non availability of vacancy or otherwise.
- 2. On receiving the recommendations of the Commission the Government shall make such enquiries about the candidates, as it may deem fit in order to ensure that they are suitable in all respects for appointment to the posts concerned, The Government reserves the right to offer/decline appointment to the candidates.
  - 6. Eligibility Conditions:— (1) Nationality—The candidate must be a citizen of India.
- (2) Minimun educational qualification—Irrespective of any provision in this regard in the Recruitment Rules of the posts notified in these Rules, the educational qualification will be as under:

Candidate must hold a bachelor degree of any of the universities or educational institutions incorporated by any Central Act or any State Act or universities deemed under University Grant Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956) or possesses an equivalent qualification.

**Note-1.** Candidates who have appeared in an examination, after passing of which would render them educationally eligible for the Commission's examination but result is not declared, and also the candidates who intend to appear in such qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. All such candidates who are

declared qualified by the Commission for appearing in the State Services (Main) Examination will be required to pass their Bachelor degrees/equivalent qualifying examination on or before the last date of the form submission of main examination. The Candidates, who have not passed their Bachelor degree/equivalent qualifying examination on or before the last date of submission of application for the Main examination, will not be eligible to apply for the Main examination. It is compulsory to produce mark sheet of Qualifying Examination along with "Attestation Form" before Interview.

- **Note-2.** Candidates possessing professional or technical qualifications. which are recognized by the State Government as equivalent to professional or technical degree, will also be eligible for admission to the examination.
- (3) Age— (a) Irrespective of any provision in this regard in the Recruitment Rules of the posts notified in these Rules the lower and upper age limits will be as per the notifications of the General Administration Department issued from time to time.

Provided that the lower and upper age limits for Home (Police) Department, Jail Department, Transport Department and Excise Department will be governed as per the provisions of their Recruitment Rules.

Age calculation will be done with reference to next 1st January after notification of advertisement.

#### (b) Age relaxation in upper Age limit admissible to various categories.—

- (i) Applicants of scheduled castes, scheduled tribe and other backward classes of Madhya Pradesh domicile will get the relaxation as per the notifications issued by the General Administration Department of Government from time to time as per section 8 of the "Madhya Pradesh Civil Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994".
- (ii) Women candidates of Madhya Pradesh domicile will get the relaxation under the "Madhya Pradesh Givil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 (as amended)".
- (iii) Ex-Serviceman of Madhya Pradesh domicile will get the relaxation under rule 5 of the Ex-serviceman of Madhya Pradesh (Reservation of Vacancies and Posts in the State Civil Services, Class III and IV) Rules, 1985.
- (iv) Following categories will get relaxation as per the circulars issued by the General Administration Department of Government time to time:—
  - (a) Employees of Madhya Pradesh Government and its Corporations/Boards/ Autonomous Institutions and Home Guards.
  - (b) Widow/Abandoned/Divorcee Woman
  - (c) Physically Challenged Persons

- (d) Green card holders under family planning programme.
- (e) Awardees of "Vikram Award"
- (f) Non SC/ST Partner of couples awarded under inter caste marriage promotion scheme of Government of Madhya Pradesh.
- (g) Other categories prescribed by the General Administration Department:
  - Provided that relaxation in upper age limit for Home (Police) Department, Jail Department, Transport Department and Excise Department will be governed as per the provisions of their Recruitment Rules.
- **Note-1.** Upper age limit shall not exceed the age limit prescribed by General Administration Department in this regard in any condition for any category after including all types of relaxations.
- **Note-2.** The reservation and benefit for physically challenged category shall be granted only on a minimum of 40% disability Certificate issued by district Medical Board.
- Note-3. All the benefits of reservation, and relaxation in age limit shall be available in context of the State of Madhya Pradesh, Therefore, the reservation and benefit of age relaxation and other benefits to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Physically challenged and Ex-serviceman shall be admissible only to the domicile candidates of Madhya Pradesh. The candidates belonging to other States shall be treated under unreserved category.
- 7. Certificate for age.— (1) No other age relaxation shall be permissible except as provided in sub-rule (3) of rule 6. The commission shall accept only such date of birth as is recorded in the High School/Higher Secondary School Examination Certificate/Mark-sheet or Certificate of an Examination treated equivalent thereto. No other document relating to age such as Affidavit, horoscope, birth-related extracts from Municipal Corporation etc. will be accepted.
- (2) Once a date of birth has been verified and recorded as per above certificate in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstances and all such representations shall be rejected.
- 8. Ineligibility.— (1) No male candidate who has more than one wife living, or having a wife living, marries in circumstances in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such wife, shall be eligible for appointment to any of the services, appointment to which will be made as per the result of this examination, until the State Government is satisfied that there is some special justification/reason for doing so, and thereupon the Government may grant exemption to such a male candidate from the operation of this rule.
- (2) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to any of the services, appointment to which will be made as per the result of this examination, until the Sate Government is satisfied that there is some special ground for doing so and thereupon the Government may exempt to such a female candidate from the operation of this rule.

(3) (a) A candidate convicted for any crime against women will not be eligible for any service or appointment to any post:

Provided that where such cases are pending in a court of law against any candidate, the matter of appointment of such candidate shall be kept pending till the final decision of criminal proceedings.

(b) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26-1-2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who already has one living child and next delivery takes place on or after 26-1-2001 in which two or more than two living children are born at a time.

- 9. Mental and Physical Fitness.—A candidate must be healthy mentally and physically sound and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of a particular service. A candidate who after such medical examination as the Government or appointing authority, as the case may prescribe is found not to satisfy these requirements shall not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment, shall be medically examined.
- 10. Criterion of physical fitness for certain posts.—Irrespective of any provision in this regard in the recruitment rules of the posts mentioned in table below, the physical fitness criterion shall be as given in the table below.

TABLE
MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

S. No. Name of the Post		Name of the Post Sex Height in cms		Chest girth	
				Without Expansion in	Fully expanded in
				cms.	cms.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	State Police Service	Male	168	84	89
	(Deputy Superintendent	Female	155	Chest measurement	Chest measurement
	Police).			not required	not required
2	District Commandant,	Male	168	84	89
	Home Guards.	Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.
3	District Excise	Male	168	84	89
	Officer.	Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.
4	Superintendent,	Male	168	84	89
	District Jail.	Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.
5	Excise Sub-Inspector	Male	168	84	89
•		Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.
6	Assistant Superintendent,	Male	168	84	89
	Jail.	Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.
7.	Transport Sub-Inspector	Male	168	84	89
	Time Port 2 de Time Portor	Female	155	Chest measurement not required.	Chest measurement not required.

- 11. Receiving of application form and Change in application form.—Application of Preliminary Examination and Main examination shall be submitted online as prescribed in the advertisement. Any Change in any entry of the application from of preliminary and main examination shall not be permitted after submission of the application form except the process advertised by the commission.
- 12. Submission and verification of documents for eligibility.—(1) The Commission will not ask for any certificates along with online application form for the Preliminary/Main examination and eligibility for the examination will not be assessed at these stages,
- (2) The mere fact that an admission card for the examination has been issued to a candidate, shall not imply that his candidature has been finally/irrevocable accepted by the commission, or that the entries made by the candidate in his application form for the Preliminary/Main examination have been accepted by the Commission as true and correct. The admission to the Preliminary/Main examination shall be provisional. If on verification at any stage of selection, it is found that a candidate does not fulfil any of the eligibility conditions, or gives false/erroneous information, his/her candidature shall be cancelled.
- (3) The Commission will call from eligible candidates for interviw, the prescribed documents along with "Attestation Form" notifying the last date of its submission at the time of declaring list of candidates successful for interview.
  - (a) After scrutinising attestation form and documents, eligibility of the candidate will be assessed only and those candidates will be allowed to appear in the interview who are found eligible for interview, Decision of the Commission regarding the eligibility will be final and no representation in this regard will be considered.
  - (b) Candidature of the candidate will be cancelled if he fails to submit attestation form on or before the date notified by the Commission.
- (4) The candidate claiming relaxation in the upper age limit or any other concession must attach a self attested photo copy of the appropriate Certificate issued by the competent authority to his application form along with "Attestation Form" before the Interview. A caste certificate relating to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes issued by a Sub-Divisional Officer (Revenue) authorized by the Government to issue caste certificate must be attached compulsorily with the application form. In case of married wowen, only the caste certificate bearing father's name will be accepted. In case of Other Backward Classes candidate's Caste Certificate mentioning that he/ she does not belong to creamy layer is required. The certificates where non-creamy layer paragraph is missing or cancelled will not be accepted for any relaxation.
- (5) The candidate appearing for interview will have to come with original certificates on the date of interview. If a candidate at the time of interview fails to produce caste and other certificates in original, his candidature shall be rejected for which the candidate himself shall be responsible. Any undertaking/representation in this regard shall not be considered and the matter shall be treated as closed. In absence of requisite certificates, any relaxation or concession shall not be considered.
- (6) A candidate claiming age concession as an ex-serviceman should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect

of his Defence Service, and that he was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to routine reduction in establishment, as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employment Exchange, if any.

- 13. **Admission to examination.**—A Candidate shall not be admitted either in the preliminary or in the main examination, if—
  - (a) he does not hold the Admit card issued by the Commission, and
  - (b) he does not hold any one of the photo identity card in original mentioned in the Advertisement/Admit Card issued by the Commission; and
  - (c) his face does not match with the photograph attached with the admit card issued by the Commission; and
  - (d) Photo and name mentioned in Admit-Card issued by the Commission does not match with photo and name mentioned in the photo identity card prescribed by the Commission which he carries.
- 14. Misconduct and action therefor.—A Candidate who has been found guilty by the Commission of the following,—
  - (a) obtaining support for his candidature whether in the written examination or interview by any means, or attempted for the same, or
  - (b) impersonating, or cheating or
  - (c) procuring impersonation by any person, or
  - (d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
  - (e) making statements which are incorrect or false or suppressing therein material information at any stage of selection, or
  - (f) resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or
  - (g) using or attempting to use unfair means in the examination hall, or
  - (h) harassing, threatening or causing physical injury to the staff engaged in the conduct of examination, or
  - (i) violating any or the instructions given to the candidates in their admission card or other directives including oral instructions given by the centre supervisor or other staff engaged in the conduct of examination, or
  - (j) misbehaving in any other manner in the examination hall or in the interview, or
  - (k) candidate fails to submits his/her answer script after the examination is over to the invigilators on duty or damages the answer script, then the commission may,—

- (1) Obtained question paper in any manner prior to examination or attempted for the same, Commission may—
  - (i) disqualify from the examination for which he/she is a candidate and/or debar either permanently or for a specific period from any examination held or a selection made by it;
  - (ii) If he/she is already in Government Service, disciplinary action against him/her may be recommended to his/her parent department.
  - (iii) Apart from this a criminal proceeding can be initiated against him/her.
  - and then Government may debar eithar permanently or for a specific period from employment under it.
- 15. **Right to allocate examination centre—**The Commission reserves the right to allocate the centre, or not for examination to the candidate, keeping in view the preference recorded in the application form. It is not necessary and binding for the Commission, to allocate the desired examination centre to candidate. Examination centres shall be allocated by the Commission, keeping in view the capacity of examination centres and administrative convenience. No. change of examination centre shall be permitted after allocation of the centre.
- 16. Correspondence with candidates.—All correspondence by the Commission shall be made either at the candidates current postal address or-email Id mentioned by the candidate in the prescribed application form. In case of change of address or e-mail Id, the candidate shall have to inform the Commission immediately in writing about his/her new postal address or e-mail Id for further correspondence. If the candidate does not apprise the Commission of his/her changes of address or e-mail Id, the correspondence will be made by the Commission at the old postal address or e-mail Id and the Commission will not be responsible for non receipt of any communication to the candidate for which the candidate will solely be responsible any any representation in this regard shall not be entertained.
- 17. Mark sheet.—(1) The Commission shall not supply mark sheets in respect of Preliminary Examination because it is only a test of competency and no correspondence shall be entertained in this regard.
- (2) Mark Sheet of the Main examination will be made available online to the candidates after the publication of the final selection results.
- (3) Retotaling of marks obtained and revaluation of answer-sheet shall not be done and no correspondence shall be entertained in this regard.
- 18. **Travelling allowance.**—(1) The travelling allowances (To and Fro) will be paid immediately after examination to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Bakward Classes and physically challenged candidate with minimum 40% disability from their present residential address mentioned in the application form to examination centre after appearing in the examination by the centre superintendent as per prevailing Rules of the State Government.
- (2) The travelling expenses will be paid to the candidate of above category mentioned in sub-rule (1) by Commission's officer for the journey performed for interview.

- (3) the candidate will have to produce the declaration duly filled in along with all the necessary certificates relating to their eligibility for the travelling expenses. The travelling expenses will be reimbursed only on the submission of self-attested copy of the Caste Certificate/Disability Certificate issued by a competent authority of Madhya Pradesh/District Medical Board.
- (4) The various concessions mentioned in the advertisement shall be applicable to the candidates belonging to the category of Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Bakward Classes and physically challenged person domiciled in Madhya Pradesh and notified/recognized by Madhya Pradesh Government. The Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically challenged candidates of other States will be deemed to be unreserved category. The reservation, relaxation in age limit and other benefits shall not be allowed to the candidates belonging to the 'creamy layer' of the Other Backward Classes as recognized by the Government of Madhya Pradesh.
- 19. Training, departmental examination, place of posting and execution of Bond.—The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. They will be required to serve at any place in Madhya Pradesh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.
- 20. **Interpretation of rules.**—If any question arises in relation to these rules the matter will be referred to General Administration Department of the Government whose decision thereon shall be final.
- 21. **Repeal and Savings**.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or any action taken under the ruels so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rule.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, K. K. KATIYA, Addl. Secy.